भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 521
05 फरवरी, 2021 को उत्तरार्थ

विषय: महिला किसानों द्वारा आत्महत्याएं

521. श्रीमती फूलो देवी नेतम:

डॉ. अमी याज्ञिक:

श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2007 में दी गई किसानों की परिभाषा के अनुसार क्या देश में दर्ज की गई "गृहणी" श्रेणी की आत्महत्याओं में महिला किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं शामिल है;

(ख) यदि हाँ, तो कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों द्वारा की गई आत्महत्याओं को ठीक से चिन्हित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्या' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचनाओं का संकलन और प्रचार-प्रसार करता है। आत्महत्याओं से संबंधित 2019 तक की ये रिपोर्ट इसकी वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। वर्ष 2019 के लिए एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार गृहिणी द्वारा की गई आत्महत्याओं में महिला किसानों की संख्या शामिल नहीं है। आत्महत्या करने वाली गृहिणियों की कुल संख्या 21,359 है जबकि कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों द्वारा की गई आत्महत्याओं से संबंधित आंकड़ें निम्नानुसार हैं:

पुरूष किसान : 9,312
महिला किसान : 969
कुल : 10,281

सरकार ने वर्ष 2016-17 के दौरान देश में किसानों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या के लिए विविध कारणों का पता लगाने के लिए 'किसान आत्महत्या: अखिल भारतीय अध्ययन' नामक अध्ययन संचालित किया। यह अखिल भारतीय अध्ययन 13 प्रमुख आत्महत्या संभावित राज्यों नामत: उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में संचालित किया गया है जिसमें 46 जिले, 138 तालुका, 388 गांव तथा 588 नमूना पीड़ित परिवार शामिल हैं। अध्ययन का संदर्भ वर्ष 2015-16 (जून, 2015-मई, 2016) निर्धारित किया गया। अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे:

I. चयनित राज्यों में किसानों की आत्महत्या संबंधी घटनाओं और प्रसार का विश्लेषण करना तथा आत्महत्या हॉट-स्पॉटों को चिन्हित करना,
II. पीड़ित परिवारों में सामाजिक-आर्थिक प्रोफाईल, फसलन पैटर्न तथा उपादेयता का अध्ययन
III. आत्महत्याओं को उकसाने वाले कारणों का अध्ययन,
IV. किसानों की आत्महत्या को टालने के लिए उपयुक्त नीतियों की सिफारिश करना।

****